न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टी ए/1256/2003/जयपुर

नाथू पुत्र जीवण जाति जाट निवासी धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ

श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री जे.के.पारीक अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः22.10.18

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 24–10–2002 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने राज्य सरकार के विरूद्ध विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर शाहपुरा के न्यायालय में एक वाद बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा,दुरूस्ती नक्शा व स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही करते हुये वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन कर

अपने निर्णय दिनांक 13–9–99 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर राज्य सरकार की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24–10–02 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील पूर्णतया मियाद बाहर थी इसके बाबजूद बिना मियाद के बिन्दु पर निर्णय पारित किये आक्षेपित निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करते हुये वादी का वाद डिक्री किया था लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना कोई कारण अंकित किये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने में विधिक भूल की है। वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थी खातेदार काश्तकार है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अवैधानिक रूप से इन्द्राज परिवर्तन किया गया है, भू प्रबन्ध विभाग को इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका तर्क है कि भू प्रबन्ध के दौरान मौका स्थिति व नक्शे के विपरीत रेकार्ड तैयार किया गया था। हाल सेटलमेन्ट में साबिक खसरा नम्बर 499/1 का जो नया खसरा नम्बर 766 बनाया जाना अंकित किया है जबकि मौका स्थिति व साबिक नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 771 से 774 बनने चाहिये थे किन्तु भू प्रबन्ध विभाग की हाल की

कार्यवाही में खसरा नम्बर 771 से 774 को साबिक खसरा नम्बर 799/2 से बनना अंकित किया है जो गलत है। उनका तर्क है कि खसरा नम्बर 771 से 774 अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है। इस बाबत अपीलार्थी ने राजस्व रेकार्ड पेश किया था जिससे इन नम्बरान पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त साबित था। अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने एवं प्रकरण को पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित करने का कोई आधार अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य है।

5. जबाब में विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में खसरा नम्बर 771 के पश्चिमी उत्तर सीमा तथा खसरा नम्बर 772 व 774 पर उत्तरी सीमा पर 12 फुट चौडा आम रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया है जिसके लिये कोई अनुतोष वाद में नहीं चाहा गया है। इसलिये अपीलीय न्यायलाय ने मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना अनुचित मानते हुये और वादी को खातेदारी दिये जाने का आधार क्या है, इस बाबत स्पष्ट विवेचन करते हुये निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नजर नहीं आने से अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वादी की ओर से

वाद बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा,दुरूस्ती नक्शा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जो मूल रूप से घोषणा का वाद है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुये कब्जे के आधार पर अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान नहीं है। दूसरा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने पर प्रतिबन्ध है। अर्थात चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत प्रतिबन्ध है। अपीलार्थी का वाद कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का है। वादी ने अपने वाद में यह अनुतोष नहीं चाहा है कि भू प्रबन्ध से पूर्व वह उक्त भूमि के खातेदार थे और खातेदारी के इन्द्राज बदलकर चारागाह कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है। इसलिये अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20–11–2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(इन्द्र सिंह राव)
सदस्य